	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 19, मंगलवार, शाके 1942-जून 9, 2020 Jyaistha 19, Tuesday, Saka 1942-June 9, 2020	

भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त् शासन विभाग, राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 28, 2020

संख्या प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/19/ 42596 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 38449 दिंनाक 08.01.2020 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर दिंनाक 31.03.2020 तक एवं अधिसूचना क्रमांक स्पेशल-1 दिनांक 30.03.2020 के द्वारा 31.05.2020 तक निम्नानुसार छुट प्रदान की गयी थी:-

क्र सं	कर का नाम	दिनांक 31.03.2020 तक जमा कराने पर
1.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड /भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2019-20 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों मे 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात वर्ष 2011-12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों मे एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

जिसकी अवधि दिंनाक 30.09.2020 तक बढायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उज्जवल राठौड,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

3129

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Scanned with CamScanner